न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक । २०१४ निगरानी R-2990-III/14

रमागोविन्द तिवारी पुत्र श्री हरप्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम जिवला, तेहसील-रायपुर, कर्चुलियान जिला रीवां -मध्यप्रदेश।

------ प्रार्थी

श्री ... द्वारा आज दि. 8-9-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरुध्द

१- राजेन्द्र तिवारी | पुत्रगण बृजवासीप्रसाद
२- महेन्द्र तिवारी | तिवारी

निवासीगण ग्राम जिवला, तेहसील-रायपुर कर्चुलियान जिला रीवां-मध्यप्रदेश ।

३- मध्यप्रदेश शासन ------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिरुध्द आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त रायपुर-कर्चुलियान जिला रीवां दिनांकी २४-६-१४ अन्तर्गत धारा ५० म0प्र0 भू-राजस्व संहिता १९५९।प्र0क्र0 ९५-अ-१२।१३-१४ न्यायालय तेहसील महोदय तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवां-मध्यप्रदेश ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, राजस्व निरीक्षक महोदय व्दारा कीगई सीमांकन की कार्यवाही एवं पारित आदेश न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तीयोग्य है ।

३- यह कि, वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला ।

४- यह कि, स्थल पर की गई सीमांकनकी कार्यवाही प्रार्थी की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2990-तीन/14 **जिला -** रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/06/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्र. 95/अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.09.2019 को कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	